I/283652/2023

File No.35-2013/1/2023- -2-

संख्या- 373 /पैंतीस-2-2023

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांकः 03 मार्च,2023

विषयः सांख्यिकीय रूप से सही आंकडे प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विकासोन्मुख योजनाएं, प्रदेश में हो रहे निवेश, विनिर्माण के क्षेत्र में हो रहे उत्पादन, निर्माण, व्यापार आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागों से आंकड़े प्रेषित किये जाते हैं जिनका उपयोग राज्य आय की गणना में किया जाता है। साथ ही समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधि के आंकलन हेतु सर्वेक्षण एवं अध्ययन भी कराए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण जिनके आंकडों का प्रयोग राज्य आय में विनिर्माण सेक्टर के योगदान को आंकलित करने हेतु तथा Annual Survey Of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE) जिसका प्रयोग राज्य आय में असंगठित क्षेत्र से जुडे विनिर्माण एवं सेवा सेक्टर के योगदान को आंकलित करने हेतु किया जाता है।

उपरोक्त के क्रम में अत्यन्त आवश्यक है कि जनपद स्तर से भी नियमित रूप से समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार ही प्रगति के सम्बन्ध में सही, स्वच्छ तथा सांख्यिकीय रूप से सही आंकड़े अपने विभागीय पोर्टल/विभाग को प्रेषित किये जाएं।

उक्त के आलोक में कृपया मासिक रूप से निम्न बिन्दुओं पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें:-

1. प्रत्येक माह सेक्टरवार निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर विभागों द्वारा राज्य आय के विभिन्न सेक्टर्स के सम्बन्ध में रिपोर्ट किये जा रहे आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए और यदि उन आंकड़ों में प्रथम दृष्टया रिपोर्टिंग के कारण कोई त्रुटि अथवा कोई असामान्य ट्रेंड परिलक्षित होता है, तो उसे सम्बन्धित विभागों के संज्ञान में भी तत्काल लाया जाए।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भारत सरकार के स्तर से कराए जा रहे विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों में आंकड़ों का संकलन विषय अनुरूप ही किया जाए तथा समय-समय पर उक्त का प्रभावी पर्यवेक्षण भी किया जाए।
3. यह सुनिश्चित किया जाय कि जिला स्तर से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को प्रेषित/पोर्टल पर फीड किये जाने वाले ऐसे आंकड़े जिनका उपयोग राज्य आय की गणना में किया जाता है उन्हे जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से परीक्षणोंपरान्त/अनुमोदनोपरान्त ही ससमय प्रेषित/फीड किया जाय।

कृपया उक्त बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र
Date: 02-03-2023 14:07:32
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या: 373 /पैंतीस-2-2023तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- औद्योगिक उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खनन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
19- विभागाध्यक्ष, संबधित विभाग, उत्तर प्रदेश।
20- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश।
21- अन्य सम्बन्धित अधिकारी।

Kumar
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव